

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग

पत्रांक— पी0पी0एम0-19/2016

4122

/कृ0, पटना दिनांक 22/9/2016

प्रेषक,

रामजी सिंह,  
सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

# अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित

#द्वारा - वित्त विभाग।

विषय -

किसान सलाहकार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में 6399.97569 (तीरसठ करोड़ निन्यानवे लाख संतानवे हजार पाँच सौ उनहत्तर) लाख रू0 की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :

स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य योजना अन्तर्गत किसान सलाहकार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में 6399.97569 (तीरसठ करोड़ निन्यानवे लाख संतानवे हजार पाँच सौ उनहत्तर) लाख रू0 की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि तकनीकी का त्वरित विस्तार, कृषि प्रसार तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कृषि में प्रशिक्षण उपरांत मानव संसाधन का उपयोग एवं कृषि ज्ञान आधारित रोजगार का सृजन के उद्देश्य से योजना राज्य के सभी 38 जिलों के सभी पंचायत में कार्यान्वित की जा रही है। राज्य में किसान सलाहकारों का स्वीकृत बल 8463 है। स्वीकृत बल के विरुद्ध कुल कार्यबल 6525 है।

3. किसान सलाहकार योजना की प्रथम स्वीकृति वर्ष 2009-10 में दी गयी थी। योजना स्वीकृति के आलोक में प्रत्येक पंचायत में एक किसान सलाहकार केन्द्र चलाने के लिए किसान सलाहकार का चयन करने हेतु एक राज्य स्तरीय विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। आवेदकों से आवेदन जिला स्तर पर लिये गये तथा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूरी की गयी। कुल 8463 लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 6525 किसान सलाहकार चुने गये हैं।

4. किसान सलाहकार को वर्ष 2009-10 में 2500 रू0 प्रतिमाह निश्चित मानदेय निर्धारित किया गया था। दिनांक: 01.04.2012 को इसे बढ़ाकर 5000 रू0 प्रतिमाह, दिनांक 01.04.2014 से 6000 रू0 प्रतिमाह 01.08.2015 से 6000 रू0 से बढ़ाकर 8000 रू0 प्रतिमाह किया गया। किसान सलाहकार की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया जायेगा।

5. किसान सलाहकार के द्वारा कृषि प्रसार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। धान एवं गेहूँ की श्री विधि जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में इनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। किसान सलाहकार केन्द्रों के संचालन के लिए वर्तमान में चुने गये किसान

Erpatu

सलाहकारों के कार्यों की समीक्षा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं तदनुसार उनके चयन की अवधि विस्तारित की जायेगी।

6. कार्यरत संख्या बल 6525 के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में 6264.00 लाख रुपये एवं वर्ष 2015-16 का बकाया राशि 61.92801 लाख रु० एवं मृत्यु अनुग्रह अनुदान पर राशि 60.00 लाख रु० साथ ही किसान सलाहकार योजना अन्तर्गत आकस्मिकता पर 14.05 लाख रु० व्यय होने की सम्भावना है। इस प्रकार कुल राशि 6399.97801 (तीरसठ करोड़ निन्यानवे लाख संतानवे हजार आठ सौ एक) लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। कोटिवार उपलब्ध राशि के विरुद्ध मंत्रिपरिषद द्वारा कुल 6399.97569 (तीरसठ करोड़ निन्यानवे लाख संतानवे हजार पाँच सौ उनहत्तर) लाख रु० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची-1 के अनुसार संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अपने संबंधित कोषागार से की जायेगी।

7. वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रथम अनुपूरक आगणन के पश्चात बजट शीर्ष, उपबंधित राशि एवं योजना हेतु स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है:-

(राशि लाख रुपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401, फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 109- विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण, मांग संख्या-1, उप शीर्ष 0106- इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सर्पोट नई योजना, विपत्र कोड P2401001090106, राज्य योजना स्कीम कोड AGR-5022 एवं विषय शीर्ष 28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ।	5469.49	5469.49
मुख्य शीर्ष 2401, फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-1, उप शीर्ष 0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सर्पोट नई योजना, विपत्र कोडP2401007890106, राज्य योजना स्कीम कोड AGR-5022 एवं विषय शीर्ष 28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ।	1320.00	915.41983
मुख्य शीर्ष 2401, फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-1, उप शीर्ष 0134- इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सर्पोट नई योजना, विपत्र कोड P2401007960134, राज्य योजना स्कीम कोड AGR-5022 एवं विषय शीर्ष 28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ।	132.00	15.06586
कुल	6921.49	6399.97569

8. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 30.08.2016 की बैठक में स्वीकृति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-19/2016 के पृ०सं०-31/टि० पर प्राप्त है। योजना कार्यान्वयन में मंत्री, कृषि का दिनांक- 16.08.2016 को स्वीकृति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-19/2016 के पृ०सं०- 25/टि० पर प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-19/2016 के पृ०सं०- 35/टि. पर दिनांक- 19. 09.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(15) 21/9/16  
(रामजी सिंह)

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-19/2016 4122 /कृ०, पटना, दिनांक 22/9/2016  
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15) 21/9/16

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-19/2016 4122 /कृ०, पटना, दिनांक 22/9/2016  
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15) 21/9/16

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-19/2016 4122 /कृ०, पटना, दिनांक 22/9/2016  
प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15) 21/9/16

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-19/2016 4122 /कृ०, पटना, दिनांक 22/9/2016  
प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15) 21/9/16

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-19/2016 4122 /कृ०, पटना, दिनांक 22/9/2016  
प्रतिलिपि- कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/ संबंधित उप कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/सभी उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

P. Prasad

(15) 21/9/16

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

